मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 4, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक एफ ए-3-46-2011-1-पांच (72), दिनांक 27 सितम्बर, 2011, तथा

(ii) क्रमांक एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (75), दिनांक 4 अक्टूबर, 2011,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, प्रदेश में निजी वेयर हाउस में रखे अनाज की उचित देखभाल न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर में पदस्थ सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य, इंदौर जिले के ग्रामीण अंचल में विद्युत संकट होने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार जिले के थाना कानवन अंतर्गत महिला की हत्या के अपराधी गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, सतना जिले के चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में पटना बांध निर्माण लंबित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य, रीवा जिले के चोरहटा में हर्बल प्लांट निर्माण में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के कर्रापुर में कृषि उप मंडी स्थापित न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मोती कश्यप, सभापति, याचिका समिति का ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम बिड़रा केररूआ नं.2 बम्बा मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(ख) ग्राम मरपुरा के कृषकों की अमाहा से धौरका मार्ग में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(ग) ग्राम बोहारा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) ग्राम बोहारा में हैंडपंप खनन किये जाने,

(ङ) ग्राम मड़ोरी के नारददेव मंदिर के पास सिंध नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम रतनपुरा एवं आलमपुर पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने,

(छ) ग्राम बोहरा से मछरिया मार्ग का डामरीकरण किये जाने, तथा

(ज) ग्राम अचलपुरा में हैंडपंप खनन कराये जाने,

-2-

(2) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम विजयगढ़ से रामगढ़ तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम खगनापुरा में सी.सी. रोड़ निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम भगवतीपुर के शासकीय विद्यालय की बाउंड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम लसूडली महाराजा के शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम पंचायत पगारा से ग्राम पगारी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम पगारी में विद्युत पोल लगाये जाने, तथा

(छ) ग्राम पगारी में पेयजल टंकी का निर्माण किये जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के -

(क) सागर नगर के संजय ड्राइव मार्ग पर मेटल रेटिंग लगाये जाने,

(ख) सागर नगर के धर्म श्री-तिली मार्ग से मोती नगर चौराहे तक सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण किये जाने,

(ग) सागर डिवीजन में उच्च शिक्षा विभाग का क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय खोले जाने, तथा

(घ) सागर नगर की प्रमुख सड़कों का उन्नयन एवं सौदर्यीकरण किये जाने,

(4) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम कनोतिया में हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम रायपुर में हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम कामती में पुलिस चौकी खोले जाने,

(5) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम सेमरवारा के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम करहिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम करसरा में शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम नववस्ता के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम वसुदा के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(च) ग्राम सोहावल के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(छ) ग्राम पोड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा

(ज) ग्राम खम्हरिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, भोपाल शहर के चार इमली संपदा संचालनालय के समीप स्वीमिंग पुल निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 1993-94, 1994-95, 1998-99 एवं 2001-2002 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 1993-94, 1994-95, 1998-99 एवं 2001-2002 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. वर्ष 1993-94 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 8, 15, 16, 20, 24, 27, 29, 30, 42, 44, 45, 49, 57, 58, 67, 70 एवं 73 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को पच्चीस सौ अस्सी करोड़, सात लाख, दो हजार, आठ सौ छप्पन रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 2011 (क्रमांक 40 सन 2011) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. वर्ष 1994-95 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 8, 20, 24, 30, 32, 42, 47, 58, 60, 63, 67 एवं 73 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को अठारह सौ अठावन करोड़, सात लाख, सतानवे हजार, चौरासी रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) विधेयक, 2011 (क्रमांक 41 सन 2011) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. वर्ष 1998-99 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 14, 20, 24, 25, 27, 50, 58, 59, 62, 67 एवं 77 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को सैतालीस सौ पच्चीस करोड़, अठावन लाख, नौ सौ चार रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) विधेयक, 2011 (क्रमांक 42 सन 2011) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

14. वर्ष 2001-2002 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 6, 20 एवं 23 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को बासठ करोड़, छप्पन लाख, पांच सौ चौरानवे रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) विधेयक, 2011 (क्रमांक 43 सन 2011) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

16. वर्ष 2011-2012 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75,तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तैतीस सौ छियासठ करोड़, उन्नीस लाख, अटहत्तर हजार, चार सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय. "

2 घन्टे

.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2011 (क्रमांक 39 सन् 2011) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**

निर्धारित समय

18. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी एवं अपराधों में वृद्धि आदि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय हित में परिवार नियोजन के लिये कानून बनाया जाय."

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु कानून में फांसी की सजा दिये जाने का प्रावधान किया जाय."

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता हे कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में शाकाहार एवं मांसाहार खाद्य पदार्थ लिखा जाना अनिवार्य किया जाय."

(4) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि हरदा से हंडिया, नेमावर, खातेगांव, कन्नौद होते हुए इंदौर तक नई रेलवे लाईन डाली जाय."

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 नवम्बर, 2011